


2025 | 305

फर्द अहकाम
(नियम 15)

मिर्चि
26.5.2025

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर जिला हनुमानगढ
विनोद कुमार बनाम ओमप्रकाश आदि
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट प्रकरण संख्या 212 वर्ष 2025

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामिल में जारी हुये
08.05.2025	<p>वकील वादी द्वारा यह वाद पत्र पेश किया गया। बाद कार्यालय टिप्पणी के वाद वादी दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सामान्य व रजिस्टर्ड सम्मन से तल्ब किया जाकर पत्रावली आईन्दा दिनांक 20.05.2025 को पेश हो।</p> <p>मिर्चि</p> <p>विनोद कुमार प. म. मिर्चि 14.5.2025 वकील पूर्णवर्दी ने प्रार्थना - पत्र प्रो. ओ. प्रकाश मिर्चि पेश करने पर प्रवावली को पेशी में लिखा गया व कुलार फरिडेन उपस्थित भी व पूर्णवर्दी क. 1, 3, 4 ने हाजिर अदालत आकर दाखीनामा पेश किया जिसे काउ व रडीड व अधिकार पत्र लिखा गया प्रवावली वाले करे लखक आईन्दा तारीख 20.5.2025 को पेश हो</p> <p>मिर्चि</p>	
25.5.2025	<p>कुलार फरिडेन उपस्थित/PU माह व काउ व रडीड पेश करे व प्रवावली वकील मिर्चि वरी अदालत पर पेश करे तारीख 26.5.2025 को पेश हो</p> <p>मिर्चि</p>	
26.5.2025	<p>कुलार फरिडेन उपस्थित करे लखक प्राप्त उभरा पत्र सुनी गरी प्रवावली का अ व लोकन लिखा गया प्रवावली पर उपलब्ध रिपोर्ट करी पूर्णवर्दी देवाजीनामा के आकर पर वाद वरी डिडी लिखा जाहा है। पूर्ण लिखन सहित मिर्चि अलग से लिखाया जाकर हाजिर फरिडेन लिखा जाके प्रवावली नम्बर के कम ही जाकर काउ व रडीड वकील खासा हाजिर करे करे हो।</p> <p>मिर्चि</p>	

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर